This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 15 अक्तूबर, 2025 / 23 आश्विन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 15 अक्तूबर, 2025

संख्याः टी.एस.एम–एफ(6) 1/2015–III-एल.––भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसके पष्चात् उक्त नियम कहा गया है) की धारा 7

के अधीन, जिला कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से सम्बद्व भूमि अर्जन से सम्बधित विषेषज्ञ समूह द्वारा तारीख 05–06–2023 को सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा जिला कांगड़ा के 14 गाँवों (तहसील काँगड़ा के 10 गांवों और तहसील शाहपुर के 04 गांवों) में अपेक्षित कुल 122–54–86 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी।

और 26–08–49 अतिरिक्त भूमि, जो कि सरकारी भूमि है, का अर्जन किया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी किया जाना आवश्यक है।

और उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार, यदि धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना विषेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट को आंकने की तारीख से बारह मास के भीतर जारी नहीं की जाती है, तो ऐसी रिपोर्ट व्यपगत समझी जाएगी। परन्तु और यह कि समुचित सरकार, को यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं को चौबीस मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी।

और अपरिहार्य प्रषासनिक कारणों से नियत अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचना नहीं की जा सकी।

अतः हिमाचल प्रदेष के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमि अर्जन कार्यवाहियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी करने की अवधि को एतद् द्वारा और चौबीस मास की अवधि अर्थात् तारीख 03–06–2026 तक बढ़ाते हैं।

आदेश द्वारा,
देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)।

————

(Authoritative English Text of this Department Notification No. TSM-F(6)-1/2015-III-L dated 15-10-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, 15th October, 2025

No.TSM-F(6)-1/2015-III-L.—Whereas, under section 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the said Act), the Social Impact Assessment Report was submitted under section 7 of the said Act by the expert group on dated 05-06-2023 regarding Acquisition for land pertaining to the Expansion of Gaggal Airport, District Kangra by which a total of 122-54-86 hectares land was required in the 14 villages (10 Villages of Tehsil Kangra and 04 Villages of Tehsil Shahpur) of District Kangra.

And whereas, additional land measuring 26-08-49, Government Land required for acquisition for which notification under section 11 is required to be issued by the appropriate Government.

And whereas, as per the provisions of section 14 of the said Act, where a preliminary notification under section 11 is not issued within twelve months from the date of the appraisal of social impact assessment report by the expert group, the report shall be deemed to have lapsed, provided further that appropriate Government shall have power to extend the period of 24 months if in its opinion circumstances exists justifying the same.

And whereas, the notification under section 11 of the said Act could not be made within the stipulated period due to unavoidable administrative reasons.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 14 of the RFCTLARR Act, 2013, the Governor of Himachal Pradesh hereby extends the period for issuing the notification under section 11 of the said Act for land acquisition proceedings by a further period of Twenty Four months, *i.e.*, upto 03-06-2026.

By order

DEVESH KUMAR
Pr. Secretary (Tourism & CA).

Before the Sub-Divisional Magistrate Dheera, exercising the Powers of Marriage Officer Dheera, Distt. Kangra (H.P.)

In case:

Sunny Dev and Pooja Chauhan

Versus

General Public

Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954, for the Registration of Marriage.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Shri Sunny Dev s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village & P.O. Gaggal Kholi, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) and Pooja Chauhan d/o Sh. Deenanath Chauhan, r/o V.P.O. Batulahi, Tehsil & District Deoria, Uttar Pradesh. That they have solemnized their marriage on dated 18-04-2024 at V.P.O Gagal Kholi, Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.) as per Hindi Rites and customs and living as husband and wife since then. If there is any objection to the registration of this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 12-11-2025 otherwise the marriage will be registered.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Dheera, District Kangra (H.P.).

In the Court of Assistant Collector-cum-Naib Tehsildar, Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) 176031

In the matter of :

1. Sh. Braham Dass s/o Sh. Tikhu s/o Sh. Rama, r/o Village Kotla, P.O. Kohala, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra, H.P. ..*Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Subject.—Application of correction of name under Section 37(2) of Land Revenue Act, 1954.

NOTICE

Whereas, Sh. Braham Dass s/o Sh. Tikhu s/o Sh. Rama, r/o Village Kotla, P.O. Kohala, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra, H.P., has submitted an application under section 37(2) of The Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Aadhar Card, PAN Card, Parivar Nakal. School Leaving Certificate and Jamabandi Parcha in the court of undersigned.

Wherein he stated that, he belongs to above mentioned address. His name is written as Brahmu in the land/revenue record of Mohal Kotla, Mauza Kohala which is wrong. His original/Correct name is "Braham Dass". Therefore, he request to correct his name as "Braham Dass" instead of Brahmu in the revenue record of Mohal Kotla, Mauza Kohala, Tehsil Jawalamukhi, as per supportive documents enclosed by him with the application file.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that if any person having any objection for entry of correction in the name of applicant mentioned above may submit his/her objection in writing to this court before 07-11-2025 No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly..

Given under my hand and seal of the Court on dated 27-09-25.

Seal. Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P.

In the Court of Sh. Ravinder Singh Sisodiya, Assistant Collector 2nd Grade, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Diggvijay Y Thakur s/o Sh. Yogeshwar Singh Thakur, r/o H. No. 175/5, Ward No. 5, Yamuna Vihar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for updation of name of applicant's daughter from Yashwitha Thakur to Yashitha Thakur.

Whereas, Diggvijay Y Thakur s/o Sh. Yogeshwar Singh Thakur, r/o H. No. 175/5, Ward No. 5, Yamuna Vihar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) has filed an application

alongwith copy of an affidavit in the court of the undersigned for updation of his daughter's name as Yashitha Thakur in place of Yashwitha Thakur d/o Sh. Diggvijay Y Thakur in her all relevant documents.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding updation of name of applicant as Yashitha Thakur in place of Yashwitha Thakur d/o Diggvijay Y Thakur in her all relevant documents then they should appear before the court of undersigned on or before 01-11-2025 either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 01-10-2025.

Sd/-

Seal.

RAVINDER SINGH SISODIYA,
Naib Tehsildar-cum-*Executive Magistrate*,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 52/2025 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी/2025/756 तारीख दायर : 01–10–2025

कमलेश कुमार पुत्र श्री पुन्नू उर्फ पुन्नू राम, गांव बेही बाग, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

कमलेश कुमार पुत्र श्री पुन्नू उर्फ पुन्नू राम, गांव बेही बाग, परगना त्रयोदी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में कमलेश कुमार पुत्र श्री पुन्नू उर्फ पुन्नू राम दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त प्राहनवीं, मुहाल डूलाहर में मेरा नाम कमलेश पुत्र श्री पुन्नू उर्फ पुन्नू राम दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं

एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम मुहाल डूलाहर, पटवार वृत्त प्राहनवीं में कमलेश पुत्र श्री पुन्नू उर्फ पुन्नू राम की जगह कमलेश कुमार पुत्र श्री पुन्नू उर्फ पुन्नू राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त प्राहनवीं को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01–10–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 47 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील तेलका / 2025 / 759–60 दिनांक : 04–10–2025

बृज लाल पुत्र सुखदेव, गांव मोहण, परगना जुंड, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत भजोत्रा . . प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

बृज लाल पुत्र सुखदेव, गांव मोहण, परगना जुंड, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि उनके बुजुर्गान का नाम मुहाल बिन्दी, तहसील बनी, जिला कठुआ, जम्मू में मुरतू दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सगोटी, पटवार वृत्त बाड़का, उप–तहसील तेलका के रिकार्ड में नाम अनतू दर्ज है जिसे सायल सही व दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के बुजुर्गान मुरतू का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी के बुजुर्गान का नाम अनतू की बजाए अनतू उर्फ मुरतू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त बाड़का को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04–10–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 55 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–756–57 दिनांक : 03–10–2025

मेहर सिंह पुत्र ब्यास देव, गांव व डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-B&D/CMO-CBA/2025-20569 Dated 25-09-2025, 2. शपथ–पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल, जिसमें आवेदक मेहर सिंह पुत्र ब्यास देव, गांव व डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक मेहर सिंह का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 25–09–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेहर सिंह पुत्र ब्यास देव, गांव व डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 28–07–1965 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक मेहर सिंह पुत्र ब्यास देव, गांव व डाकघर लिग्गा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव लिग्गा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 57 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–754–55 दिनांक : 03–10–2025

पवन कुमार पुत्र बलदेव राम, गांव लदवाह, डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारीचम्बा के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-B&D/CMO-CBA/2025-20572 Dated 25-09-2025,

2. शपथ–पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल, 7. विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र जिसमें आवेदक पवन कुमार पुत्र बलदेव राम, गांव लदवाह, डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक पवन कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 25–09–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि पवन कुमार पुत्र बलदेव राम, गांव लदवाह, डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 03–04–1965 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक पवन कुमार पुत्र बलदेव राम, गांव लदवाह, डाकघर लिग्गा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव लिग्गा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 56 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–752–53 दिनांक : 03–10–2025

सुनील कुमार पुत्र श्रीधर, गांव अथेढ, डाकघर मौडा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मौडा, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी।

विषय.––मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-B&D/CMO-CBA/2025-15458 Dated 15-07-2025, 2. शपथ–पत्र, 3. मृत्यु रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. प्रधान रिपोर्ट जिसमें आवेदक सुनील कुमार पुत्र श्रीधर, गांव अथेढ, डाकघर मौडा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की दादी पठनी की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक सुनील कुमार की दादी पठनी की मृत्यु दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 15–07–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि पठनी पत्नी चुहडू, निवासी गांव अथेढ, डाकघर मौडा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 02–09–2021 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में पठनी पत्नी चुहडू, निवासी गांव अथेढ, डाकघर मौडा की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मौडा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, उप–मण्डल सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 0 / 2025 तारीख मजरूआ : 17–09–2025 तारीख पेशी : 04–11–2025

बरकत अली पुत्र श्री लाल हुसैन, निवासी गांव सन्दोआ, डाकघर कटौला, उप–तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) . वादीगण।

बनाम

आम जनता . प्रतिवादीगण।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी / समाचार पत्र बाबत प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में बरकत अली पुत्र श्री लाल हुसैन, निवासी गांव सन्दोआ, डाकघर कटौला, उप–तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक आवेदन–पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित किया है कि उनका भतीजा साजिद अखतर पुत्र श्री सतार मुहम्द उम्र 12 वर्ष 19 अगस्त, 2022 को हुई भारी वर्षा के कारण बादल फटने से बागी खड्ड / नाला में अपने माता पिता व बहन के साथ बह गया था जिसमें से उसके अन्य परिवार के सदस्यों की लाश मिल गई थी परन्तु उनके भतीजे साजिद अखतर पुत्र श्री सतार मुहम्द उम्र 12 वर्ष की लाश अथक प्रयास करने के उपरान्त भी उसका कोई अता–पता न चल सका है तथा उनका ब्यान है कि उनका भतीजा साजिद पुत्र सतार मुहम्द की मृत्यु दिनांक 19 अगस्त, 2022 को भारी वर्षा के कारण बादल फटने बागी खड्ड / नाला में पानी में बहने के कारण हो चुकी है। इस आवेदन के माध्यम से प्रार्थी अपने भतीजे साजिद अखतर पुत्र श्री सतार मुहम्द उम्र 12, गांव सन्दोआ, डाकघर कटौला, उप–तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 19 अगस्त 2022 को ग्राम पंचायत कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त विचाराधीन मामले में प्रतिवादी आम जनता को इश्तहार समाचार पत्र व राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी बरकत अली पुत्र श्री लाल हुसैन के भतीजे साजिद अखतर पुत्र श्री सतार मुहम्द उम्र 12 वर्ष, गांव सन्दोआ, डाकघर कटौला, उप–तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 19 अगस्त, 2022 को ग्राम पंचायत कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज

करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04—11—2025 को असालतन या वकालतन दोपहर 03.30 बजे मेरे न्यायालय में हाजिर आकर अपना पक्ष लिखित या मौखिक पेश कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 01—10—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(रूपिंदर कौर, भा0प्र0से0),
उप—मण्डल दण्डाधिकारी,
उप—मण्डल सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

—————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कटौला, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 73 मजरूआ : 01—09—2025 तारीख पेशी : 28—10—2025

मैं जै सिंह पुत्र गीरू, गांव बुंगा, डाकघर कमान्द, उप—तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र राजस्व रिकार्ड के मुहाल बुंगा में नाम दुरुस्त करवाने बारा इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी।

मैं जै सिंह पुत्र गीरू, गांव बुंगा, डाकघर कमान्द, उप—तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे पिता का नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में जै सिंह नाम दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड के मुहाल बुंगा में जै राम दर्ज है। जै सिंह व जै राम दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है तथा दोनों नामों से गांवों में जाना जाता है। मेरे पिता के अलग—अलग नाम दर्ज होने की बजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने इस न्यायालय से प्रार्थना की है कि जै सिंह उपनाम जै राम दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावें।

प्रार्थना—पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम जै सिंह उपनाम जै राम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 28—10—2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इश्तहार की एक प्रति पटवार खाना भवन, सरगाह आम, पंचायत भवन में चस्पान की जावे।

यह इश्तहार आज दिनांक 24—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

कटौला, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

—————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

केस नम्बर : 57 / एन0टी0 / 2025 तारीख पेशी : 28—10—2025

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री पंजू राम, निवासी गांव डह, डा0 चुरढ, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री पंजू राम, निवासी गांव डह, डा0 चुरढ, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उसका जन्म 07—08—1965 को गांव डह, डा0 चुरढ, ग्राम पंचायत चमुखा में हुआ था किन्तु कारणवश जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत चमुखा के अभिलेख में दर्ज न हो सका है इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश पारित किये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 28—10—2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह 28—10—2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थिया श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री पंजू राम, निवासी गांव डह, डा0 चुरढ, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि 07—08—1965 का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चमुखा के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्रीमती तन्जिन डोलमा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05 / 2025 तारीख संस्थापन : 18—09—2025

श्री संजय पुत्र स्व0 श्री बिहारी लाल, निवासी गांव साईसैर, डा0 कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त।

श्री संजय पुत्र स्व0 श्री बिहारी लाल, निवासी गांव साईसैर, डा0 कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2022–23, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा शपथ–पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल (मोहाल मोगड़ा) के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता / खतौनी नं0 12 / 40 में उसका नाम दयालू पुत्र स्व0 श्री बिहारी लाल गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए सबूतों के अनुरूप संजय पुत्र स्व0 श्री बिहारी लाल दर्ज है।

इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरण से छानबीन करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त कांगल (मोहाल मोगड़ा) के राजस्व रिकार्ड में दयालू पुत्र स्व0 श्री बिहारी लाल दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम संजय पुत्र स्व0 श्री बिहारी लाल दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त कांगल मोहाल मोगड़ा के राजस्व सम्पदा के अराजी खाता / खतौनी नं0 12 / 40 में दयालू पुत्र स्व0 श्री बिहारी लाल के स्थान पर संजय पुत्र स्व0 श्री बिहारी लाल दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह मिति 30–10–2025 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन / वकालतन हाजिर आकर अपना एजराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 26–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्रीमती तन्जिन डोलमा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04 / 2025 तारीख संस्थापन : 18–09–2025

श्रीमती माठी देवी पत्नी स्व0 श्री बृज लाल, निवासी गांव झूंजन, डा0 कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त।

श्रीमती माठी देवी पत्नी स्व0 श्री बृज लाल, निवासी गांव झूंजन, डा0 कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2018–19, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा शपथ–पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल (मोहाल झूंजन) के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता / खतौनी नं0 8 / 20 में उसका नाम मरची पत्नी स्व0 श्री बृज लाल गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए सबूतों के अनुरूप श्रीमती माठी देवी पत्नी स्व0 श्री बृज लाल दर्ज है।

इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरण से छानबीन करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदिका का नाम पटवार वृत्त कांगल (मोहाल झूंजन) के राजस्व रिकार्ड में श्रीमती मरची पत्नी स्व0 श्री बृज लाल दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम श्रीमती माठी देवी पत्नी स्व0 श्री बृज लाल दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया का नाम पटवार वृत्त कांगल मोहाल झूंजन के राजस्व सम्पदा के अराजी खाता / खतौनी नं0 8 / 20 में श्रीमती मरची पत्नी स्व0 श्री बृज लाल के स्थान पर श्रीमती माठी देवी उर्फ मरची पत्नी स्व0 श्री बृज लाल दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह मिति 30—10—2025 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन / वकालतन हाजिर आकर अपना एजराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थिया का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 26—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

—————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धामी, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 06 / 2025 तारीख मरजुआ : 01—09—2025 तारीख फैसला : 29—09—2025

श्री प्रवीण पवन पुत्र श्री कृष्ण दास, ग्राम न्यावली, मौजा बनौण, डाकघर जाबरी, उप—तहसील धामी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती अन्तर्गत जेरे धारा 37(2) हि0प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954.

प्रार्थी श्री प्रवीण पवन पुत्र श्री कृष्ण दास, ग्राम न्यावली, मौजा बनौण, डाकघर जाबरी, उप—तहसील धामी, जिला शिमला (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 01—09—2025 को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भू—राजस्व अभिलेख मौजा बनौण में प्रार्थी का नाम पवन कुमार पुत्र कृष्ण दास दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को छानबीन हेतु पटवारी हल्का बठमाणा को भेजा गया। पटवारी पटवार वृत्त बठमाणा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मौजा बनौण में प्रार्थी का नाम पवन कुमार पुत्र कृष्ण दास दर्ज है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत बठमाणा जाबरी से जारी परिवार नकल, शपथ—पत्र, शैक्षणिक प्रमाण—पत्र तथा ब्यानात स्थानीय वाशिन्दगान के अनुसार प्रार्थी का नाम प्रवीण पवन है जो सही है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रवीण पवन व पवन कुमार एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मौजा बनौण, पटवार वृत्त बठमाणा के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम प्रवीण पवन उर्फ पवन कुमार दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 30—10—2025 तक इस अदालत में अपना उजर / एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज न है तथा आवेदन—पत्र को अन्तिम रूप देकर नाम दुरुस्ती आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 29–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा,
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

श्री बनवारी लाल पुत्र श्री सन्त राम, ग्राम निवासी मनेवटी, डाकघर थंगाड़, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.——13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री बनवारी लाल पुत्र श्री सन्त राम, ग्राम निवासी मनेवटी, डाकघर थंगाड़, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	बनवारी लाल	स्वयं	25–01–1965

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत किरण को उपरोक्त व्यक्ति के नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा,
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

राविन्द्रा देवी पुत्री श्री मौजी राम, निवास ग्राम डोखरा, डाकघर ईड़ा, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी।

विषय.——13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया राविन्द्रा देवी पुत्री श्री मौजी राम, निवास ग्राम डोखरा, डाकघर ईड़ा, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खून्द नेवल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खून्द नेवल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है:–

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	राविन्द्रा देवी	स्वयं	07–07–1973

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत खून्द नेवल को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज दिनांक 16–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्मा संख्या : 118 / 2024 तारीख मरजुआ : 18–09–2024 अगली सुनवाई : 18–10–2024

1. श्री बहादूर सिंह पुत्र विशन दास, निवासी गांव व डा0 शाहधार, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0), 2. श्री सोहन सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0), 3. श्रीमती सुनीता पुत्री श्री कृष्ण सिंह, हालाबाद पत्नी श्री निहाल चन्द, गांव नगाधार, डा0 खोलीघाट, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0), 4. श्रीमती नरैण दासी उर्फ अनिता पुत्री श्री कृष्ण सिंह, हालाबाद पत्नी श्री रमेश चन्द, गांव शीला, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0), 5. सीमा पुत्री श्री कृष्ण सिंह, हालाबाद पत्नी यशवन्त नेगी, गांव व डा0 झाकडी, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 6. श्री वीर सिंह पुत्र श्री मान सिंह उर्फ मान दास, गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 7. श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री विशन दास, हालाबाद पत्नी श्री लायक राम, निवासी गांव शीलाक्यार, डा0 पुडग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0), 8. श्रीमती ज्ञान दासी पुत्री श्री विशन दास, हालाबाद पत्नी श्री अनु लाल, निवासी गांव दशमाला, डा0 दोफदा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 9. श्रीमती राधा देवी दासी पुत्री श्री विशन दास, हालाबाद पत्नी श्री शीशी राम, निवासी गांव शाहधार, डा0 शाहधार, तहसील

रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 10. श्री रतन दास पुत्र श्री सागर दास पुत्र श्री रघु गांव कोटला, जिला शिमला (हि0 प्र0), 11. श्रीमती कमला देवी पुत्री सागर दास पुत्री श्री रघु हालाबाद पत्नी श्री सोहन लाल, गांव व डा0 ज्यूरी, जिला शिमला (हि0 प्र0), 12. श्री अविनाश पुत्र श्री भीम सैन पुत्र सागर दास, गांव कोटला, डा0 ज्यूरी, जिला शिमला (हि0 प्र0), 13. श्री अभिषेक पुत्र श्री भीम सैन पुत्र श्री सागर दास, गांव कोटला, डा0 ज्यूरी, जिला शिमला (हि0 प्र0), 14. श्रीमती इन्दुबाला विधवा श्री भीम सैन पुत्र श्री सागर दास, गांव कोटला, डा0 ज्यूरी, जिला शिमला (हि0 प्र0), 15. श्रीमती शान्ता देवी पुत्री अमरू देवी, गांव शगाग, डा0 सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0), 16. श्रीमती गंगा दासी पुत्री श्री रघु, निवासी गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 17. श्रीमती अन्जना पुत्री श्री रघु हालाबाद पत्नी हिमत सिंह, गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 18. श्री भूपेश पुत्र श्री महिन्द्र सिंह, गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 19. श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री महिन्द्र सिंह, गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 20. श्री कपिल देव पुत्र महिन्द्र सिंह, गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 21. श्रीमती सुमित्रा देवी विधवा महिन्द्र सिंह, निवासी गांव शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 22. श्री संजीव पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 23. श्री दीपक पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 24. श्री राजीव पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 25. श्रीमती विद्यावती पुत्री श्री रमेश चन्द हालाबाद पत्नी श्री जीवन सिंह, गांव ढेउ, डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 26. श्रीमती ममता पुत्री श्री रमेश चन्द हालाबाद पत्नी राजेन्द्र सिंह, गांव पशगांव, डा0 गानवी, जिला शिमला (हि0 प्र0), 27. श्रीमती चन्द्रकला विधवा श्री रमेश चन्द, गांव व डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 28. श्री कांशी राम पुत्र श्री कालु, गांव बठारा, डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 29. श्री सैन राम पुत्र श्री कालु, गांव बठारा, डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 30. श्रीमती पदमी पुत्री कालु हालाबाद पत्नी श्री हीरू, गांव रंगोरी, डा0 सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0), 31. श्री योग राज पुत्र श्रीमती पदू, गांव रंगोरी, डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0), 32. श्री देश राज पुत्र पदू, गांव रंगोरी, डा0 सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0), 33. श्रीमती सीता देवी पुत्री गांव रंगोरी, डा0 सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0), 34. श्रीमती जोबनु देवी पुत्री श्री थेबल हालाबाद पत्नी श्री ज्ञानी गांव व डा0 मशनू, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0), .. वादी।

बनाम

1. श्री ननक चन्द पुत्र हरू, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. श्री संग दास पुत्र हरू, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, जिला शिमला (हि0 प्र0)

.. प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 128/288, कित्ता 7, रकबा तादादी 00—40—13 है0, वाका चक मझगांव, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बहादूर सिंह पुत्र विशन दास, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 128/288, कित्ता 7, रकबा तादादी 00—40—13 है0, वाका चक मझगांव, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत में विचाराधीन हैं। उपरोक्त वादीगणों में से वादी सं0 3, 4, 5, 12, 20, 31 व 33 की तामील बार—बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त वादीगणों की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 18—10—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे वादीगण उपरोक्त को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 118 / 2025 तारीख दायर : 19—09—2025 अगली सुनवाई : 21—10—2025

श्री सोमा उरांव पुत्र लुटु ओरांव, निवासी गांव कुन्दी, डाकघर शिव सेरंग, जिला गुमला (झारखण्ड) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख त्यावल में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

श्री सोमा उरांव पुत्र लुटु ओरांव, निवासी गांव कुन्दी, डाकघर शिव सेरंग, जिला गुमला (झारखण्ड) ने इस कार्यालय में उनका पुत्र श्री सन्नी का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत त्यावल के अभिलेख में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थी ने आवेदन किया कि अज्ञानतावश वह अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण पंचायत अभिलेख त्यावल में दर्ज न कर सका जिसकी जन्म तिथि निम्न है:—

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	सम्बन्ध	तारीख जन्म
1.	सन्नी	पुत्र श्री सोमा उरांव	25—09—2018

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी के पुत्र का जन्म पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21—10—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 117 / 2025 तारीख दायर : 19—09—2025 अगली सुनवाई : 21—10—2025

श्रीमती रूकमणी पुत्री श्री दौलत राम हालाबाद पत्नी श्री रणवीर सिंह, निवासी गांव धराली, डाकघर ज्यूरी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत सराहन में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

श्रीमती रूकमणी पुत्री श्री दौलत राम हालाबाद पत्नी श्री रणवीर सिंह, निवासी गांव धराली, डाकघर ज्यूरी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहन में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न हो सका। प्रार्थिया की जन्म तिथि निम्न है:—

क्रम संख्या	प्रार्थिया का नाम	तारीख जन्म
1.	श्रीमती रूकमणी पुत्री श्री दौलत राम	28—11—1967

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 21—10—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 15 / ना / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 10—11—2025

आशा देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, गांव रिहड़ी, डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

विषय.——इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

आशा देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, गांव रिहड़ी, डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 28—10—1965 को गांव रिहड़ी, डाकघर नाहलना, ग्राम पंचायत नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत नाहलना के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत नाहलना को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त आशा देवी पुत्री श्री दुनी चन्द, गांव रिहड़ी, डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 28—10—1965 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10—11—2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत नाहलना को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 04—10—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री विजय शर्मा कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 14 / ना / 2025 किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 27—10—2025

चन्द्र मोहन राणा पुत्र स्व0 श्री कुलतार चन्द राणा, गांव व डाकघर घुग्गर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण।

विषय.——इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

चन्द्र मोहन राणा पुत्र स्व0 श्री कुलतार चन्द राणा, गांव व डाकघर घुग्गर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी दादी श्रीमती मनशा देवी पत्नी श्री श्रीधर, गांव साई, डा0 घुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 20—12—1981 को गांव साई, डा0 घुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घरवालों ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत धुपक्यारा के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी दादी की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत धुपक्यारा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की दादी श्रीमती मनशा देवी पत्नी श्री श्रीधर, गांव साई, डा0 घुपक्यारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 20—12—1981के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27—10—2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव धुपक्यारा को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 29—09—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 73 / तह0 / 2024 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 04—11—2025

विनोद कुमार पुत्र श्री छन्दो उपनाम चन्दू लाल पुत्र श्री मोहन व अन्य निवासी महाल व मौजा अबैरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

कृष्ण चन्द पुत्र श्री खजान सिंह व अन्य निवासी महाल घारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र बराये तकसीम भूमि खाता संख्या 324, खतौनी संख्या 653, खसरा नं0 1167, 1173, कित्ता 2, रकबा तादादी 0—10—87 है0 स्थित महाल व मौजा अबैरी, जमाबन्दी वर्ष 2017—18, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विनोद कुमार पुत्र श्री छन्दो उपनाम चन्दू लाल पुत्र श्री मोहन व अन्य निवासी महाल व मौजा अबैरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने उपरोक्त भूमि की तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दायर कर रखा है। जिसमें निम्नलिखित प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से इत्तलाह न हो पा रही है। अतः निम्नलिखित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है:—

1. कृष्ण चन्द पुत्री श्री खजान सिंह व अन्य निवासी महाल घारा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0), 2. कशमीर सिंह पुत्र सजू राम, निवासी महाल धवरोट, डा0 मढी, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), 3. रोशनी देवी, 4. जोगिन्द्रो, 5. पूनम, 6. अंजली पुत्रियां, 7. सुदेश पत्नी, 8. अनिल कुमार पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डा0 अबैरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त मुकद्दमा में कोई भी कार्यवाही या उजर / एतराज पेश करना चाहते हैं तो वह दिनांक 04—11—2025 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर हाजिर होकर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना—पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 78 / तह0 / 2025 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 07—11—2025

विमला देवी पुत्री श्री रसील चन्द पुत्र श्री महन्त, निवासी महाल कनारग, डा0 मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

शशी कान्ता पुत्री श्री मीन चन्द व अन्य निवासी महाल कनारग, डा0 मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थना—पत्र बराये तकसीम भूमि खाता संख्या 62, खतौनी संख्या 99, ता 102, खसरा कित्ता 10, रकबा तादादी 01—28—16 है0 स्थित महाल क्योरी, मौजा बीड, जमाबन्दी वर्ष 2017—18, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विमला देवी पुत्री श्री रसील चन्द पुत्र श्री महन्त, निवासी महाल कनारग, डा0 मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने उपरोक्त भूमि की तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दायर कर रखा है। जिसमें निम्नलिखित प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से इत्तलाह न हो पा रही है। अतः निम्नलिखित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है:—

1. कमलेश पुत्री श्री दयाल, 2. काकू, 3. अशवनी पुत्र, 4. रमना देवी, 5. शशी देवी पुत्रियां, 7. निर्मला देवी विधवा श्री सरदार, निवासी गांव व डा0 मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, 8. राम पुत्र चणकू, निवासी महाल क्योरी, मौजा बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त मुकद्दमा में कोई भी कार्यवाही या उजर / एतराज पेश करना चाहते हैं तो वह दिनांक 07—11—2025 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर हाजिर होकर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना—पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 03—11—2025

जगत राम पुत्र श्री वेली राम, निवासी गांव व डा0 मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके चढत राम व चढतू राम पुत्र श्री वेलिया पुत्र श्री फरंगी के बजाए जगत राम पुत्र श्री वेली राम पुत्र श्री फरंगी दर्ज करने बारे।

जगत राम पुत्र श्री वेली राम, निवासी गांव व डा० मण्ढेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि वह महाल मण्ढेड कलां, समयाला, मतरूह, तहसील बैजनाथ में भू—स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम चढत राम व चढतू राम पुत्र श्री वेलिया पुत्र श्री फरंगी दर्ज है। जवकि प्रार्थी व उसके पिता का असल नाम जगत राम पुत्र श्री वेली राम पुत्र श्री फरंगी है लिहाजा इसे दुरुस्त करके जगत राम पुत्र श्री वेली राम पुत्र श्री फरंगी किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03—11—2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना—पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाऐंगे।

आज दिनांक 22—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

—————————

ब अदालत श्री प्रिंस धिमान, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 56/2025 तारीख पेशी : 26—10—2025

भवना देवी पुत्री स्व0 श्री हेत राम, निवासी गांव मेहड़, डाकघर टाण्डु, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

भवना देवी पुत्री स्व0 श्री हेत राम, निवासी गांव मेहड़, डाकघर टाण्डु, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसकी जन्म 01—01—1966 को उनके घर गांव व डाकघर टाण्डु, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वे उक्त जन्म को ग्राम पंचायत मझवाड़ के जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज न कर सके हैं। इसे दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत टाण्डु को दिये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26—10—2025 को वह असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर

अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

आज दिनांक 26—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत श्री प्रिंस धिमान, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 57 / 2025 तारीख पेशी : 26—10—2025

प्रवीण बीबी पुत्री श्री रमजान, निवासी गांव साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रवीण बीबी पुत्री श्री रमजान, निवासी गांव साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका जन्म 02—04—1973 को उसके घर गांव व डाकघर साम्बल, तहसील सदर, जिला मण्डी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उक्त जन्म को ग्राम पंचायत मझवाड़ के जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज न कर सके हैं। इसे दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत मझवाड़ को दिये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26—10—2025 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

आज दिनांक 26—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 12 / एन0टी0 / 2025 तारीख पेशी : 28—10—2025

श्री नितिश शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा उपनाम हरिकृष्ण, निवासी गांव बाड़ी/26/9, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.——राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करवाने बारे।

श्री नितिश शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा, निवासी गांव बाड़ी/26/9, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में नाम दुरुस्ती प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि पटवार वृत्त वाड़ी के मुहाल वाड़ी/26/9 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम नितिन शर्मा दर्ज कर दिया गया है जबकि उसका असल नाम नितिश शर्मा है। प्रार्थी ने आगे व्यक्त किया है कि उसके आधार, मैट्रिक प्रमाण–पत्र व अन्य समस्त कागजात में नितिश शर्मा ही दर्ज। इसलिए राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दुरुस्त दर्ज करने बारे आदेश पारित किए जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 28–10–2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 28–10–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैर–हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त वाड़ी के मुहाल वाड़ी में नितिन शर्मा पुत्र शिव कुमार उपनाम हरिकृष्ण के बजाए नितिन शर्मा उपनाम नितिश शर्मा पुत्र शिव कुमार उपनाम हरिकृष्ण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

——————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती अछरी देवी सुपुत्री श्री धैना राम, निवासी गांव व डा0 रोपड़ी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 25–06–1966 है, जोकि ग्राम पंचायत रोपड़ी के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि, ग्राम पंचायत रोपड़ी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 28—10—2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।